न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनंत भण्डारी

दांडिक विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 671/2026

बाबर अली पुत्र श्री कोसर अली, उम्र करीबन 40 साल, निवासी एच-6, गली नंबर 03, नजदीक अब्दुला मस्जिद ब्रह्मपुरी, उत्तर पूर्वी दिल्ली।

---प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, अलवर (राज.)

---विपक्षी/अभियोगी

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2025, साईबर पुलिस थाना, अलवर, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66 डी आई.टी. एक्ट

उपस्थितः-

1- श्री अमजद खान, विद्वान अधिवक्ता - प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2- श्री महेश चन्द शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक - राज्य की ओर से।

आ दे श

दिनांकः 09.06.2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त बाबर अली की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2025, साईबर पुलिस थाना, जिला अलवर में अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

2- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि फरियादी सरजीत सिंह ने एक रिपोर्ट साईबर पुलिस थाना अलवर पर इस आशय की दर्ज करवाई कि उसके पास विभिन्न नंबरों से फोन आये थे, जिन्होंने स्वयं को पार्शवनाथ शेयर ब्रोकर कंपनी में कार्यरत होना बताया और वीडियो कॉल से उनका ऑफिस दिखाया। उन्होंने बताया कि वे 02 साल में पैसे को डबल कर वापस देते हैं। उसने विश्वास करके उनके विभिन्न खातों में समय-समय पर अलग-अलग तारीखों में, अलग-अलग राशि डलवाई। अब वह पैसे मांगता है, तो नहीं लौटा रहे है। उसने कुल 47,93,000/-रूपये उनके खातों में डाल दिये.....इत्यादि।

3- उक्त रिपोर्ट के आधार पर साईबर पुलिस थाना, अलवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2025, अंतर्गत धारा 318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66 डी आई.टी. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तारी का भय होने से यह अग्रिम जमानत का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान कथन किया है प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का खाता अन्य सह-अभियुक्तगण ने Mule खाते के रूप में काम में लिया है, जिसकी जानकारी प्रार्थी/अभियुक्त को नहीं थी। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई साईबर अपराध कारित नहीं किया है। प्रकरण के अन्य सह-अभियुक्तगण मुस्कान, शकीला बानो, आफरीन, जैनब, जीनत की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जा चुके है तथा अन्य सह-अभियुक्तगण प्रभात शर्मा, मौहम्मद साकिर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा

483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किये जा चुके है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह-अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त का परिवादी से राजीनामा हो चुका है। परिवादी सरजीत सिंह ने अपनी समस्त राशि प्राप्त कर ली है। अब कोई विवाद शेष नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

5- इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का कथन रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त, पार्शवनाथ शेयर ब्रोकर कंपनी के साथ मिलकर काम करता था। परिवादी की रकम प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में जमा हुई है। परिवादी ने समय-समय पर कुल 47,93,000/-रूपये की राशि विभिन्न खातों में डलवाई है, जिसमें से एक खाता प्रार्थी/अभियुक्त का है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ छल कर भारी राशि प्राप्त की गई है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध स्वयं को पार्श्वनाथ शेयर ब्रोकर कंपनी में कार्यरत होना बताकर, अपने अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए रूपये को दो साल में डबल करने का झांसा देकर परिवादी से 47,93,000/-रूपये प्राप्त कर, परिवादी को छल से प्रवंचित कर बेईमानी पूर्वक आशय से परिवादी को सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करने तथा प्राप्त रूपयों को परिवादी को नहीं लौटाकर अपने उपयोग में सम्परिवर्तित कर बेईमानीपूर्वक आशय से दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग कारित करने संबंधी संबंधी धारा 318(4), 316(2), 61(2)(a) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66 डी आई.टी. एक्ट के आरोप हैं।

7– केस डायरी के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में दिनांक 05.01.2025 को 1,50,000/–रूपये की राशि प्राप्त होना आया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खाते में विभिन्न अन्य राशियां भी प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पार्शवनाथ शेयर ब्रोकर कंपनी के साथ मिलकर बडे पैमाने पर लोगों के साथ छल कारित कर उनसे बडी राशि प्राप्त करना प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है। जहां तक प्रकरण के अन्य सह–अभियुक्तगण मुस्कान, शकीला बानो, आफरीन, जैनब, जीनत की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने का प्रश्न है, यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त सह–अभियुक्तगण को महिला होने के आधार पर उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है तथा जहां तक प्रकरण के अन्य सह–अभियुक्तगण प्रभात शर्मा व मौहम्मद साकिर को जमानत का लाभ दिये जाने का प्रश्न है,तो यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त सह–अभियुक्तगण प्रभात शर्मा व मौहम्मद साकिर द्वारा उनकी गिरफ्तारी के उपरांत, उनके द्वारा धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि वर्तमान प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभी प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी होकर, उससे अनुसंधान किया जाना है। ऐसे में प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उक्त सह–अभियुक्तगण से भिन्न होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफतारी के अभाव में उससे अनुसंधान भी शेष होना प्रकट है। प्रकरण अभी अनुसंधान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर टिप्पणी किया जाना हितकर नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए, प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-आदेश-

8- लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्त बाबर अली पुत्र श्री कोसर अली की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर

9- आदेश आज दिनांक 09.06.2026 को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत न्यायालय में उदघोषित किया गया।

(अनंत भण्डारी)
सेशन न्यायाधीश, अलवर